मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः30.03.2026

थाना को0कटरा पुलिस टीम द्वारा रेलवे लाइन के किनारे खड़े होकर गेट/खिड़की के पास मोबाइल पर बात/चलाते हुए यात्रियों के मोबाइल फोन को डण्डा मारकर चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश, 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, विभिन्न कम्पनी के 13 अदद मोबाइल फोन बरामद —

अपर्णा रजत कौशिक पुलिस अधीक्षक जनपद मीरजापुर द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान इनामियां, जिलाबदर, वारण्टी व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं प्रभावी कार्यवाही करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को निर्देश दिया गया है।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को0कटरा पुलिस टीम द्वारा दिनांक 29.03.2026 को संगठित गिरोह बनाकर ट्रेन के रेलवे लाइन के किनारे खड़े होकर आने जाने वाली ट्रेनों के गेट व खिडकी पर बैठे यात्रियों के मोबाइल फोन डण्डा मारकर गिराकर चुरा लेने वाले 02 शातिर अभियुक्तों 1.राजाराम सोनकर पुत्र भागीरथी सोनकर निवासी काजीतालाब जंगीरोड थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर व 2.दिलीप कुमार केवट पुत्र राजकुमार केवट निवासी ककरहवां थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर को गिरफ्तार कर अभियुक्तो के पास से उपरोक्त घटना से सम्बन्धित कुल 13 अदद मोबाइल फोन को बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना को0कटरा पर मु0अ0सं0-79/2026 धारा 317(4),317(5),317(2) बीएनएस पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार अभियुक्तों को मा0न्यायालय/जेल भेजा गया।

विवरण पूछताछ —

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि हम लोगों 02 सदस्यीय एक गैंग है जो रेलवे लाइन के किनारे सबरी के आसपास खड़े होकर ट्रेन की खिड़की/गेट के पास मोबाइल चलाते/बात करते हुए यात्रा करने वाले रेल यात्रियों के मोबाइल फोन को डण्डा मारकर गिराकर चुरा लेते है और इस प्रकार से प्राप्त मोबाइल फोनों को किसी अनजान राहगीर को अपनी मजबूरी बताकर औने-पौने दामों पर बेच देते है जिससे प्राप्त धनराशि को हम दोनों आपस में बांट लेते है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण—

1. राजाराम सोनकर पुत्र भागीरथी सोनकर निवासी काजी तालाब जंगीरोड थाना को0कटरा मीरजापुर, उम्र करीब-55 वर्ष।
2. दिलीप कुमार केवट पुत्र राजकुमार केवट निवासी ककरहवां थाना को0कटरा मीरजापुर, उम्र करीब-20 वर्ष।

बरामदगी का विवरण —

विभिन्न कम्पनी की 13 अदद मोबाइल फोन।

पंजीकृत अभियोग —

मु0अ0सं0-79/26 धारा 317(4),317(5),317(2) बीएनएस थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर।

आपराधिक इतिहास—

अभि0राजाराम सोनकर उपरोक्त-

1.मु0अ0सं0-328/2017 धारा 60 अबकारी अधिनियम, थाना को0कटरा, मीरजापुर।

2.मु0अ0सं0-1317/2016 धारा 60 अबकारी अधिनियम, थाना को0कटरा, मीरजापुर।

3.मु0अ0सं0-555/2014 धारा 60 अबकारी अधिनियम, थाना को0कटरा, मीरजापुर।

अभि0दिलीप कुमार केवट उपरोक्त-

मु0अ0सं0-58/2025 धारा 115(2),352,351(3) बीएनएस, थाना को0कटरा, मीरजापुर।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय —

चिमनी रोड को0कटरा के पास, दिनांक 29.03.2026 को समय 23:36 बजे।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

उपनिरीक्षक वैद्यनाथ सिंह, थानाध्यक्ष को0कटरा, मीरजापुर।

उपनिरीक्षक चन्द्रभान सिंह, चौकी प्रभारी मण्डी समिति, थाना को0कटरा, मीरजापुर।

उपनिरीक्षक विनोद शास्त्री, मुख्य आरक्षी पुनदेव सिंह, ज्ञानेन्द्र सिंह, कृष्णा यादव व जितेन्द्र यादव।

****